"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2012—कार्तिक 9, शक 1934

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्रमांक 02/निर्वा. नामा/पुन.-2013/1404.—निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी, 2013 के लिये दावों एवं आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को 31 अक्टूबर, 2012 से 20 नवम्बर, 2012 तक आगे बढ़ाये जाने संबंधी जारी अधिसूचना संख्या 23/ई.आर.एस./2012/खण्ड-III, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012—9 कार्तिक, 1934 (शक)

अधिसूचना

सं. 23/ई.आर.एस./2012/खण्ड-III.—यत:, आयोग ने 27 अगस्त, 2012 के अपने पत्र सं. 23/2012-ई.आर.एस./खण्ड-III द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओड़ीशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2013 को अर्हक तिथि मानते हुए निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यत:, दावों एवं आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि मूलत: 01 अक्टूबर, 2012 से 31 अक्टूबर, 2012 तक नियत की गई थी; और

यत:, उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक में 176 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए) में 01 अक्टूबर, 2012 को प्रारूप नामावलियाँ प्रकाशित कर दी गई थी; और

यत:, बहुत से मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने विभिन्न कारणों जैसे-अक्टूबर में मूसलाधार वर्षा होने, पूर्वोक्त अवधि के अन्दर आने वाले त्योहारों तथा बहुत से सार्वजनिक अवकाशों, के कारण दावों तथा आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है और आयोग ने भी इस सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा करते हुए यह पाया है कि पर्याप्त संख्या में फार्म-6 तथा अन्य फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं; और

यत:, आयोग ने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को 31 अक्टूबर 2012 से 20 नवम्बर, 2012 तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए;

अत:, अब निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, ओड़ीशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और कर्नाटक के 176 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 01 जनवरी, 2013 को अर्हक तिथि मानते हुए चल रही निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि को 20 नवम्बर, 2012 (मंगलवार) तक आगे बढ़ाता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 31st October, 2012—9 Kartika, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 23/ERS/2012-Vol.III.—Whereas, the Commission had announced the schedule for Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01-01-2013 as the qualifying date in the State/UTs of Andaman & Nicobar Islands, Arunanchal Pradesh, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and Uttar Pradesh vide its letter No. 23/2012-ERS Vol. III, dated 27th August 2012; and

Whereas, the period of filing claims and objections was originally fixed from 1st October 2012 to 31st October 2012: and

Whereas, the draft rolls were published on 1st October, 2012 in the aforesaid States/UTs (in Karnataka for 176ACs); and

Whereas, many Chief Electoral Officers have requested for extension of the period of filing claims and objections citing various reasons, like, heavy rainfall in October a number of public holidays and festivals falling in between the aforesaid period, and the Commission having reviewed the progress has found that adequate number of Forms 6 and other Forms have not been received; and

Whereas, the Commission has considered the matter and has decided that the period of filing claims and objection should be extended from 31st October 2012 to 20th November, 2012;

Now, therefore, the Commission, in exercise of the power conferred by proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the State of Arunanchal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Haryana, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and Uttar Pradesh and 176 ACs of Karnataka and the entire PC of Chandigarh Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep, the period for filing claims and objections upto 20th November 2012 (Tuesday) for the ongoing Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01-01-2013 as the qualifying date.

By order,

Sd/-

(R. K. SRIVASTAVA)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.